

Ref. No.: AAI/HBX/Comrl/Adv.Rights & Trolley Retrieval /2025-26/ ¹⁴²⁷₁₄₃₁ Date: ¹¹₁₁ 10.07.2025

सेवा मे./ To,
एमएस। के एन इंटरप्राइजेज / M/s. K N Enterprises
श्रीनिकेताना, पुलिस स्टेशन के पास, / Srinikethana, Near Police Station,
मुरागुड्डे, शांति नगर, / Muragudde, Shanthi Nagara,
कावूर, मंगलुरु-575015/ Kavour, Mangaluru- 575015

GST No.: 29ALLPP6783HIZA

विषय/Sub: हुबल्ली हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन में विज्ञापन अधिकार सह ट्रॉली पुनर्प्राप्ति के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया। / Award of License of License for Advertisement Rights cum Trolley Retrieval at New Terminal Building Hubballi Airport – Reg.

महोदय/महोदया Sir/Madam,

- कृपया विषयगत सुविधा (निविदा आईडी: 2025_AAI_230438_1, मार्च 2025) के लिए ई-निविदा में अपनी भागीदारी का संदर्भ लें, जिसके लिए तकनीकी बोलियाँ 16.04.2025 को और वित्तीय बोलियाँ 28.05.2025 को खोली गईं। सक्षम प्राधिकारी कृपया निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर विषयगत रियायत प्रदान करने का अनुरोध करते हैं। / Please refer to your participation in e-tender for the subject facility (tender ID: 2025_AAI_230438_1 in March 2025) for which technical bids were opened on 16.04.2025 and financial bid was opened on 28.05.2025. The competent authority is please to award the subject concession on the following terms and conditions:

i.	लाइसेंस/License For	Advertisement Rights cum Trolley Retrieval at New Terminal Building Hubballi Airport, Hubballi	
ii.	No. of Trollies	124 Nos. (as per NIT)	
iii.	लाइसेंस की आवधिकता/ Periodicity of License	03 (Three) Years	
iv.	Business Incubation Period	15 Days from the date of issuance of this Award letter	
v.	जेस्टेशन अवधि / Gestation Period	90 days, reckoned from the expiry of the business incubation period OR the date of handing over of sites, whichever is earlier.	
vi.	पहले महीने के लिए देय लाइसेंस शुल्क / License Fee	Quoted License Fee	Rs. 5606.00
		Common Area Maintenance	Rs. 560.60

	payable for the first month	(CAM) charges	
		Tax/GST @ 18%	Rs.1109.98
		Gross License Fee	Rs. 7277
vii.	वार्षिक वृद्धि / Annual Escalation	Annual escalation in license fee shall apply as per clause 4 of NIT. 10% on Space rent shall be payable.	
viii.	बिजली और पानी की खपत के लिए शुल्क / Charges towards consumption of electricity and water	NA	
ix.	एएआई को देय ब्याज मुक्त सुरक्षा जमा (एसडी) / Interest free Security Deposit (SD) payable to AAI	(i) Security Deposit of Rs. 29108 /- towards License fee as per clause 9 of NIT. This exercise of submission of SD is to be done within the business incubation period.	
x.	व्यवसाय ऊष्मायन अवधि के भीतर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पक्ष में आरटीजीएस/एनईएफटी के रूप में एक माह का अग्रिम सकल लाइसेंस शुल्क 7277/- रुपये देय है। / One-month advance Gross License fee of Rs. 7277/- , is payable in the form of RTGS/NEFT in favour of Airport Authority of India within the business incubation period.		
xi.	हुबली हवाई अड्डे के लिए RTGS/NEFT हेतु बैंक का विवरण निम्नलिखित है: - • बैंक: भारतीय स्टेट बैंक • शाखा: गोकुल रोड, हुबली, धारवाड़, कर्नाटक, भारत - 580030 • शाखा कोड: 40606 • IFSC कोड: SBIN0040606 • लाभार्थी का नाम: हवाई अड्डा नियंत्रक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) • खाता संख्या: 31005683435 हुबली हवाई अड्डे का पैन और जीएसटी: • पैन संख्या - AAACA6412D • जीएसटी संख्या - 29AAACA6412D2Z3 Following are the details of Bank for RTGS/NEFT to Hubballi Airport: - • Bank: State Bank of India • Branch: GOKUL ROAD, HUBBLI, DHARWAD KARNATAKA, IN - 580030. • Branch Code: 40606		

	• IFSC Code: SBIN0040606 • Beneficiary Name: THE AIRPORT CONTROLLER, AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA (AAI) • A/C No.: 31005683435 PAN and GST of Hubballi Airport: • PAN No - AAACA6412D • GST No. - 29AAACA6412D2Z3								
xii.	अनुबंध को व्यवसाय ऊष्मायन अवधि के भीतर 500/- रुपये (उचित मूल्य) के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाना होगा। स्टाम्प पेपर की लागत और संबंधित लागत लाइसेंसधारी द्वारा वहन की जाएगी। / Agreement has to be executed on non-judicial Stamp Paper of Rs. 500 /- (appropriate value) within the business incubation period. The cost of Stamp Paper(s) and related costs to be borne by the licensee.								
xiii.	एजेंसी द्वारा नियोजित या नियोजित होने जा रहे व्यक्तियों का विवरण, जो एएआई कर्मचारियों के निकट संबंधी हैं, या एएआई के पूर्व कर्मचारी हैं जो पिछले दो वर्षों में एएआई से अलग हो गए हैं, इस पुरस्कार पत्र की स्वीकृति के साथ आपके द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए (नीचे दिए गए प्रारूप में लेटर हेड पर): / Details of persons employed by agency or going to be employed, who are near relatives of AAI employees, or are ex-employees of AAI who have separated from AAI in the past two years to be furnished by you (on letter head in the below format), along with the acceptance of this award letter: <table border="1"> <thead> <tr> <th>नियोजित किये जाने के लिए प्रस्तावित व्यक्ति का नाम / Name of the person proposed to be employed</th><th>पद / Designation</th><th>उक्त व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता / Your relationship with the said person</th><th>पोस्टिंग का स्थान / Place of Posting</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	नियोजित किये जाने के लिए प्रस्तावित व्यक्ति का नाम / Name of the person proposed to be employed	पद / Designation	उक्त व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता / Your relationship with the said person	पोस्टिंग का स्थान / Place of Posting				
नियोजित किये जाने के लिए प्रस्तावित व्यक्ति का नाम / Name of the person proposed to be employed	पद / Designation	उक्त व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता / Your relationship with the said person	पोस्टिंग का स्थान / Place of Posting						
xiv.	विलंबित भुगतान पर ब्याज/ Interests on Delayed Payment	1. प्राधिकरण देय तिथि (अर्थात् चालान की तिथि + 15 दिन) से प्राधिकरण के खाते में प्राप्त भुगतान की वास्तविक तिथि तक 12% प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज लगाएगा, उन मामलों में जहां रियायतग्राही/एजेंसियों ने देय तिथि के बाद लेकिन 90 दिनों के भीतर चालान का निपटान किया है (चालान की तिथि + 90 दिन) और उन मामलों में जहां रियायतग्राही/एजेंसियों ने 90 दिनों के बाद चालान का निपटान किया है, देय तिथि से							

		प्राधिकरण के खाते में प्राप्त भुगतान की वास्तविक तिथि तक 18% प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज लगाएगा। / Authority shall levy penal interest @ 12% per annum from the due date (i.e. date of invoice plus 15 days) till the actual date of payment received in Authority's account in the cases concessionaire/ agencies settled the invoice after due date but within 90 days (date of invoice plus 90 days) and @ 18% per annum from the due date till the actual date of payment received in Authority's account in the case of concessionaire/ agencies settled the invoices after 90 days. 2. किसी भी एजेंसी द्वारा आंशिक भुगतान किए जाने की स्थिति में, चालान की शेष राशि पर लागू ब्याज दर ही ली जाएगी। / In case of part payment made by any agency, same rate of interest on the balance amount of invoice as applicable shall be charged. 3. लाइसेंसधारी को सभी भुगतान एएआई के बिलर डायरेक्ट मॉड्यूल या वर्चुअल अकाउंट नंबर (वीएएन) के माध्यम से करना होगा। / The licensee to make all payments through Biller Direct module of AAI or Virtual Account Number (VAN).
xv.	सरकारी कानून/नियमों के प्रति दायित्व / Obligation of Govt. Laws/Rules	लाइसेंसधारी को आवश्यकतानुसार बीसीएस/किसी अन्य नियामक एजेंसी से सभी आवश्यक सुरक्षा अनुमोदन/मंजूरी प्राप्त करनी होगी। / The licensee to obtain all necessary security approvals/clearances from BCAS/any other regulatory agency as required. 1. सुरक्षा मंजूरी - चयनित बोलीदाता/लाइसेंसधारी/रियायतग्राही को एलओए जारी होने के 10 दिनों के भीतर (यदि बोलीदाता को आरएफपी शर्तों के अनुसार एसपीवी बनाना है तो 30 दिन) सुरक्षा मंजूरी के लिए नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएस) को आवेदन करना होगा और उसकी प्रतियां प्राधिकरण को प्रस्तुत करनी होंगी। / Security Clearance - The selected Bidder/Licensee/Concessionaire shall apply to

		Bureau of Civil Aviation Security (BCAS) for Security Clearance, within a period of 10 days (30 days in case the Bidder is to form SPV as per RFP conditions) from the issuance of LOA and submit copies thereof to the Authority. 2. सुरक्षा कार्यक्रम - चयनित बोलीदाता/लाइसेंसधारी/रियायतग्राही को एलओए जारी होने के 10 दिनों के भीतर सुरक्षा कार्यक्रम के अनुमोदन के लिए नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएस) को आवेदन करना होगा तथा उसकी प्रतियां प्राधिकरण को प्रस्तुत करनी होंगी, यदि चयनित बोलीदाता/लाइसेंसधारी/रियायतग्राही के पास बीसीएस से पूर्व सुरक्षा मंजूरी है। / Security Programme - The selected Bidder/Licensee/Concessionaire shall apply to Bureau of Civil Aviation Security (BCAS) for approval of the Security Programme, within a period of 10 days from the issuance of LOA and submit copies thereof to the Authority, in case the Selected Bidder/Licensee/ Concessionaire is having prior Security Clearance from BCAS. यदि चयनित बोलीदाता/लाइसेंसधारी/रियायतग्राही के पास एलओए जारी करने की तिथि पर बीसीएस से पूर्व सुरक्षा मंजूरी नहीं है, तो चयनित बोलीदाता/लाइसेंसधारी/रियायतग्राही को बीसीएस से सुरक्षा मंजूरी प्राप्त होने की तिथि से 05 दिनों की अवधि के भीतर सुरक्षा कार्यक्रम के अनुमोदन के लिए बीसीएस को आवेदन करना होगा और उसकी प्रतियां प्राधिकरण को प्रस्तुत करनी होंगी। / In case the Selected Bidder/Licensee/ Concessionaire is not having prior Security Clearance from BCAS on the date of issuance of LOA, then the Selected Bidder/ Licensee/Concessionaire has to apply to BCAS for approval of security program within a period of 05 days from the date of receipt of Security Clearance from BCAS and submit copies thereof to the Authority.
--	--	---

4. इसके अतिरिक्त, पैरा x, xi और xiii में सूचीबद्ध औपचारिकताएं उसमें निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर पूरी की जानी चाहिए। / Further, the formalities listed at para x, xi & xiii must be completed within the time lines specified therein.
5. कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित पहलू शामिल हैं। / The scope of work includes the following aspects:
- विज्ञापन: लाइसेंसधारी को बैगेज ट्रॉलियों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का अधिकार होगा। / Advertisements: The Licensee shall have the right to display advertisements on the baggage trolleys.
 - टॉली पुनर्प्राप्ति: / Trolley Retrieval:
 - लाइसेंसधारी हवाई अड्डे पर 24/7 x 365 दिन ट्रॉलियों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। / The licensee shall ensure availability of trolleys at the airport on a 24/7 x 365-day basis.
 - यह सुनिश्चित करेगा कि यात्री केवल अपना सामान/माल ले जाने के लिए निःशुल्क बैगेज ट्रॉलियों का उपयोग करें और उन्हें आगमन/प्रस्थान, टर्मिनल भवन के अंदर/बाहर निर्दिष्ट क्षेत्रों में वापस लाएँ और रखें। / Ensure usage of Free Baggage Trolleys by the passengers for carrying their luggage/goods only and retrieve and position them in the specified areas of Arrival/Departure, Inside/Outside the Terminal Building.
 - रखरखाव: दैनिक आधार पर उचित सफाई / Maintenance: Proper cleaning on daily basis
6. ट्रॉली पर विज्ञापन के लिए स्थान/ Space for Advertisements on the Trolley
- एएआई द्वारा आपूर्ति की जाने वाली ट्रॉलियों में, ट्रॉली पर किसी भी दिशा में विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए स्थान (प्रत्येक 6 वर्ग फुट से अधिक नहीं) होगा। / Trolleys, to be supplied by AAI, will have space (not exceeding 6 Sq. ft each) for the purpose of displaying advertisement, in any direction, on trolley.
 - हवाई अड्डे पर एक सुखद वातावरण प्रदान करने के लिए, डिस्प्ले बोर्ड और उन पर विज्ञापन की डिज़ाइन/निर्माण और स्थापना का प्रबंध लाइसेंसधारी द्वारा स्वयं के खर्च पर किया जाएगा। लाइसेंसधारी द्वारा प्रयुक्त सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो ट्रॉलियों की सुंदरता को बढ़ाए। / Designing/Fabrication and installation of the Display Boards and advertisement thereon shall be arranged by the licensee at its own cost to offer a pleasing ambience standard to Airport. The material used by the licensee should be such that it enhances the aesthetic of the trolleys.

- c. सभी डिस्प्ले/साइनेज सभी ट्रॉलियों के लिए मानक/एक समान आकार और माप के होने चाहिए और एएआई द्वारा अनुमोदित होने चाहिए। / All display/signage should be of standard/uniform shape and size for all trolleys and has to be approved by AAI.
- d. आपत्तिजनक सामग्री के प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। एएआई कुछ वस्तुओं/उत्पादों के किसी भी विज्ञापन की अनुमति नहीं देने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। / Objectionable material display will not be permitted. AAI also reserves the right to not allow any advertisement of certain commodities/products.
7. लाइसेंसधारी, निर्माण स्थल की माप लेने और निर्माण अवधि के दौरान उसे अपने नियंत्रण में लेने के लिए एक अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करेगा। निर्माण अवधि में आगे कोई भी विस्तार सक्षम प्राधिकारी के पूर्ण विवेक पर निर्भर होगा। / The licensee shall depute an authorized representative for measurement of the site and taking over the same with in the gestation period. Any further extension in gestation period shall be at the sole discretion of competent authority.

8. दंड / Penalties

- a. लाइसेंसधारी के कर्मचारियों द्वारा कुली सेवाएँ प्रदान करना सख्त वर्जित है और इस लाइसेंस के दायरे से बाहर है। यदि यह पाया जाता है कि लाइसेंसधारी के कर्मचारियों द्वारा कुली सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं, तो टर्मिनल प्रबंधक द्वारा पहली बार में ₹2,000/- और बाद में ₹5,000/- का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि ऐसा उल्लंघन बार-बार होता है, तो एएआई लाइसेंस समाप्त करने का हकदार है। / Provision of porter services by manpower of licensee is strictly prohibited and beyond the scope of this license. In case, it is found that porter services are being provided by the manpower of licensee, a penalty of Rs. 2,000/- in the first instance, and Rs. 5,000/- on subsequent instance(s) shall be levied by the Terminal Manager. AAI is entitled to terminate the license if such violation occurs quite often.
- b. लाइसेंसधारी द्वारा निम्नलिखित उल्लंघन पर भी जुर्माना लगाया जाएगा: / The penalties will also be imposed on following violation by the licensee:

Sl. No.	अनियमितताओं का विवरण / Description of Irregularities	जुर्माना (प्रति घटना प्रति दिन) / Penalty (per instance per day)
1	कर्मचारी वर्दी में नहीं होना/पहचान पत्र के बिना होना / Staff not in uniform/without ID Card	Rs.500/-
2	कर्मचारी द्वारा दुर्व्यवहार / Misbehavior by the staff	Rs.1000/-

3	गैर-निर्दिष्ट क्षेत्र में ट्रॉलियाँ रखना / Trolleys lying in non-designated area	Rs.1000/-
4	यात्री आवागमन के दौरान बिना सूचना के सुविधा बंद करना / Closing the facility without intimation during passenger movement	Rs.5000/-
5	निर्दिष्ट सेवाओं के अलावा अन्य सेवाएँ प्रदान करना / Providing services other than the specified one	Rs.10,000/-
6	निर्दिष्ट सेवाओं के अलावा अन्य वस्तुएँ/सेवाएँ बेचना / Selling items/services other than specified	Rs.5000/-
7	एएआई की संपत्तियों जैसे ट्रॉलियों, यात्री कुर्सियों आदि का अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग करना / Using AAI's properties like trolleys, passenger chairs etc., for other purposes	Rs.2000/-
8	सेवा/सुविधा प्रदान करने में गुणवत्ता बनाए न रखना / Not maintaining the quality in providing service /facility	Rs. 100/-

9. जनशक्ति तैनाती और उनकी सेवा शर्तें/ MANPOWER DEPLOYMENT AND THEIR SERVICE CONDITIONS

लाइसेंसधारी केवल भारतीय नागरिकों को ही नियुक्त करेगा और उन्हें नौकरी पर रखने से पहले उनके पूर्ववृत्त और निष्ठा का सत्यापन करवाएगा। लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी तरह से संदिग्ध पूर्ववृत्त और राष्ट्रीयता वाला कोई भी व्यक्ति नौकरी से जुड़ा न हो। लाइसेंसधारी संचालन और रखरखाव सेवाओं के निष्पादन और प्रदर्शन के लिए पर्याप्त संख्या में कुशल और अनुभवी कर्मियों को नियुक्त और तैनात करेगा, जिसमें ट्रॉलियों की पुनर्प्राप्ति, स्थिति निर्धारण और दैनिक रखरखाव/सफाई शामिल है, या तो स्वयं के माध्यम से या तीसरे पक्ष के माध्यम से या जनशक्ति की आउटसोर्सिंग के माध्यम से और यह भी लाइसेंसधारी की समग्र जिम्मेदारी होगी कि कर्मियों: / The licensee shall employ only Indian nationals and get their antecedents and loyalty verified before employing them on the job. The licensee shall ensure that no person of doubtful antecedent and nationality is in anyway associated with the job. The licensee shall engage and deploy sufficient numbers of skilled and experienced personnel for the execution and performance of Operation and Maintenance Services which include retrieval, positioning and daily upkeep/cleaning of trolleys, either through itself or through third party or outsourcing of manpower and it shall also be over all responsibility of the licensee that the

personnel are:

- कुशल, प्रशिक्षित और अनुभवी हों / Skilled, trained and experienced
- साफ वर्दी पहने हों जिसमें स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो कि सेवा निःशुल्क है और सभी मौसमों के लिए पहचान पत्र हों, जिन्हें एएआई के परामर्श से अंतिम रूप दिया/अनुमोदित किया जाएगा। श्रमिकों को वर्दी के कम से कम दो सेट प्रदान किए जाएंगे और इसका पूरा खर्च लाइसेंसधारी द्वारा वहन किया जाएगा / Properly dressed in clean uniform clearly depicting that the service is free and identity cards for all seasons which shall be finalized/approved in consultation with AAI. Minimum two sets of uniform shall be provided to the workers and entire expense for the same shall be borne by the licensee
- शारीरिक रूप से फिट और इच्छित उद्देश्य के लिए और बीसीएस एईपी आवश्यकता को पूरा किया हो। प्रमाणित डॉक्टरों द्वारा अनुमोदित मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र एएआई को प्रस्तुत किए जाने चाहिए / Physically fit and for the intended purpose and have fulfilled the BCAS AEP requirement. Medical fitness certificates approved by certified doctors should be submitted to AAI;
- प्रति तिमाही एक बार पर्यवेक्षक का प्रशिक्षण दिया गया हो और लाइसेंसधारी को प्रशिक्षण योजना पहले से साझा करनी होगी। / Imparted training of supervisory once per quarter and the licensee has to share training plan in advance.
- लाइसेंसधारी अनुबंध के तहत कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से अपने द्वारा नियोजित श्रमिकों की सेवा शर्तों (न्यूनतम मजदूरी, बोनस, पी.एफ, ई.एस.आई., बीमा और देश के प्रचलित कानूनों के अनुसार अन्य वैधानिक अनुपालन आदि सहित) के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। / The licensee will solely be responsible for service conditions (including minimum wages, bonus, PF, ESI, Insurance and other statutory compliances etc. as per prevailing laws of the land) of workmen employed by it for the purpose of carrying out the functions under the contract.
- एएआई और लाइसेंसधारी के श्रमिकों के बीच कोई प्रत्यक्ष कर्मचारी-नियोक्ता संबंध नहीं होगा। / There will be no direct employee-employer relation between AAI and the workmen of the licensee.
- यदि लाइसेंसधारी के श्रमिकों द्वारा एएआई या यात्री(यों) की किसी संपत्ति को कोई नुकसान/नुकसान पहुंचाया जाता है, तो लाइसेंसधारी अपनी लागत पर उक्त नुकसान/क्षति की भरपाई करने के लिए उत्तरदायी होगा और एएआई इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। / In case any damage/loss is caused to any property of AAI or that of the passenger(s) by the workers of the licensee, then the licensee shall be liable to make good of the said loss/damage at its own cost and AAI shall not be responsible for the same.

10. लाइसेंसधारी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को, उस क्षेत्र से संबंधित किसी भी कानून के प्रावधानों के समुचित पालन और निष्पादन में लाइसेंसधारी की ओर से की गई किसी भी चूक के कारण किए गए किसी भी दावे या हुई क्षति के लिए क्षतिपूर्ति करेगा जिसमें परिसर स्थित है। / The licensee shall indemnify Airport Authority of India from/against any claims made or damages suffered by Airport Authority of India by reason of any default on the part of the licensee in the due observance and performance of the provisions of any law which may be related to the area in which premises are located.
11. जब भी प्राधिकरण उस हवाईअड्डा परिसर में, जहाँ लाइसेंसधारी ऐसी सेवाएँ प्रदान कर रहा है, समान सुविधा के लिए अतिरिक्त लाइसेंस देने का निर्णय लेता है, तो लाइसेंसधारी को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं होगा। / Licensee shall have no right to object as and when the authority decides to grant additional license for similar facility at the airport premises where the licensee is rendering such services.
12. लाइसेंसधारी को अनिवार्य रूप से बीसीएस से गर्भावधि के भीतर सुरक्षा मंजूरी और सुरक्षा कार्यक्रम अनुमोदन प्राप्त करना होगा। बीसीएस से आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने में देरी के लिए एएआई ज़िम्मेदार नहीं होगा। / Licensee must mandatorily obtain the security clearance and security program approval within the gestation period from BCAS. AAI will not be responsible for the delay in getting the necessary clearance from BCAS.
13. एनआईटी, सामान्य नियम एवं शर्तें तथा विशेष नियम एवं शर्तें में उल्लिखित सभी शर्तें पूर्णतः इस पुरस्कार पत्र का अभिन्न अंग हैं तथा समझौते का हिस्सा बनेंगी। / All the conditions mentioned in the NIT, General Terms & Conditions and Special Terms & Conditions are in toto, part & parcel of this award letter and will form a part of the agreement.
14. लाइसेंसधारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित इस अवार्ड लेटर की एक प्रति, जिसमें एनआईटी की सभी नियम व शर्तें और इस अवार्ड लेटर को स्वीकार किया गया हो, इस एलओए की प्राप्ति के सात (07) दिनों के भीतर इस कार्यालय को भेजनी होगी। इस अवार्ड लेटर की स्वीकृति के साथ उपरोक्त पैरा xiv के अनुसार घोषणा भी संलग्न करनी होगी। / A copy of this Award Letter duly signed by Licensee, accepting all Terms and Conditions of NIT and of this Award Letter, must be forwarded to this office within seven (07) days of receipt of this LoA. The acceptance to this award letter to accompany declaration as per para xiv above.

15. निर्धारित समय के भीतर पुरस्कार को स्वीकार न करने या पुरस्कार के बाद की औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण, आपको एएआई द्वारा अपने हवाई अड्डों पर या एएआई के नियंत्रण में किसी अन्य स्थान पर निविदाओं में आगे भाग लेने के लिए एक (01) वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। / Non-acceptance of award or on account of non- completion of post-award formalities within the prescribed time, you shall be liable to be debarred by AAI for further participation in the tenders at its airports or at any other place under the control of AAI, for a period of one (01) year.

धन्यवाद,/ Thanking You,

सादर/With Regards,



रूपेश कुमार

रूपेश कुमार/ Rupesh Kumar
विमानपत्तन निदेशक/ Airport Director
हुबबल्ली हवाई अड्डा /Hubballi Airport

संलग्न: / Encl:

अनुलग्नक A: ट्रॉली परिनियोजन योजना / Annexure A: Trolley Deployment Plan

प्रतिलिपि/Copy To: (NOO)

1. क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, भा.वि.प्रा., क्षेत्र.मु., द.क्षे., चेन्नई। /The Regional Executive Director, AAI, RHQ, SR, Chennai.
2. महाप्रबंधक (वाणिज्य), भा.वि.प्रा., क्षेत्र.मु., द.क्षे., चेन्नई।/The GM(Comrl), AAI, RHQ, SR, Chennai.
3. महाप्रबंधक (वित्त), भा.वि.प्रा., क्षेत्र.मु., द.क्षे., चेन्नई। /The GM (F&A), AAI, RHQ, SR, Chennai.
4. प्रभारी - वित्त/टर्मिनल/सुरक्षा/ I/c - Finance /Terminal/ Security

Annexure – A

TROLLEY DEPLOYMENT PLAN

Sl. No.	Location	No. of Trolleys (approx.)
1	In front of Departure Entrance	20
2.	Arrival Hall (Near Conveyer Belt)	104

सादर/With Regards,



रूपेश कुमार

रूपेश कुमार/ Rupesh Kumar
विमानपत्तन निदेशक/ Airport Director
हुबबल्लि हवाई अड्डा /Hubballi Airport

Signature Not Verified

Digitally signed by V. P. JAYASANKAR
Date: 2025.07.24 16:49:57 IST
Location: eProcurement System for
Central PSUs